आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

आदेश

प्रस्तुत अभिलेख का संधारण अपर समाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक 200/रा0, दिनांक–28.02.2020 तथा झारखण्ड सरकार राजस्व विभाग के पत्रांक–695 (5)/रा0, दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक 2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 में दिये गये आदेश/निदेश के अनुपालनार्थ संदेहात्मक जमाबंदी की जांच की गई। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् दी गई जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। इस वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत हैः–

क्र0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
1	111	45, 978	0.05 ए0 1.00 ए0 1.05 ए0

जमाबंदी रैयत/उनके वंशज द्वारा अपने जमाबंदी के पक्ष में दिये गये राजस्व कागजातों की जांच की गई।

जमाबंदीदार द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन एवं जांचोपरांत स्पष्ट होता है कि श्री सहोदर महतो ,केशो महतो, भुन महतो चैतु महतो

मौजा–कुन्दा थाना नं0 145 खाता नं0, 111 प्लॉट नं0, 45, 978 रकवा 1.05 ए0 गैरमजरूआ खास भूमि किस्म जंगल–झाडी पंजी II के पृष्ट सं0 3/2 पर कायम जमाबंदी संदिग्ध पाया गया। आवेदक रिर्टन की प्रति दाखिल करने में असमर्थ रहे। जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम सादा है एवं यह जमाबंदी बिना कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कायम हुई है। यह जमाबंदी बिना कोई वाद सुनवाई के कायम हुई है। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी रैयत के नाम से वर्ष 1976 में जमाबंदी कायम की गई है। जमाबंदी कायम करने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादी को निबंधित केवाला द्वारा वर्ष1970 में हासिल है। विक्रेता को भूमि हुकुमनामा से प्राप्त है।विक्रेता

Scanned with OKEN Scanner

के नाम से कायम जमाबंदी का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादी के नाम से वर्ष 1976 के पश्चात वर्ष 2013 में सरकारी राजस्व रसीद निर्गत किया गया है।2.00 ए0 का परन्तु केवाला में 1.00 ए0 ही भूमि अंकित है।

इससे स्पष्ट होता है कि सक्षम प्राधिकार के आदेश से जमाबंदी कायम नही की गई है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 द्वारा वन भूमि/जंगल झाडी भूमि को नियमितिकरण/बंदोबस्ती हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। राजस्व विभाग के पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं पत्रांक–6205/रा0, दिनांक–27.12.2017 में प्रतिवेदित चेक स्लीप के अनुसार जमाबंदी नियमितिकरण हेतु विचार किया गया लेकिन प्रतिवेदित भूमि का जमाबंदी रैयत सुयोग्य श्रेणी के नही पाये गये तथा WP(C) संख्या 202/1995 माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.12.1996 के अनुसार जंगल जंगल–झाडी की भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी नियमितिकरण नही किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0, दिनांक–12.12.2017 में भी वन भूमि/जंगल झाडी (DEEMED FOREST) को नियमितिकरण हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। इस संबंध में जमाबंदी रैयत को दिनांक–13.06.2016, 20.02.2020 एवं 25.03.2025 को नोटिश दिया गया। जमाबंदी रैयत उपस्थित हुये एवं कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया। मौजा–कुन्दा थाना नं0 145 खाता नं0, 111 प्लॉट नं0, 45, 978 रकवा 1.05 ए0 किस्म जमीन जंगल–झाडी गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संदिग्ध है। राज्य हित की क्षति कारित करने के लिए रैयत द्वारा अपने निजी हित साधनें के लिए जमाबंदी कायम हुई है।

अतः BLR ACT 1950 की धारा 4H के तहत् मौजा–कुन्दा थाना नं0 145 खाता नं0, 111 प्लॉट नं0, 45, 978 रकवा 1.05 ए0 किस्म गैरमजरूआ खास जंगल–झाडी जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0 3/2 पर श्री सहोदर महतो ,केशो महतो, भुन महतो चैतु महतो ग्राम कुन्दा के नाम कायम है, की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को भेंजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.09.10 17:25:51 +05:30
Location: 10.87.89.245

13-8-25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

13-8-25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Scanned with OKEN Scanner